

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 172]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 7 मई 2015—वैशाख 17, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 मई 2015

क्र. एफ 3-(6)-2013-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा लोकायुक्त की अनुशंसा पर, उज्जैन संभाग की सतर्कता समिति में, श्री शशि मोहन श्रीवास्तव को अध्यक्ष एवं श्री बी. एम. कुलमी को सदस्य के पद पर 03 वर्ष की अवधि के लिये कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

No. F. 3 (6)-2013-I-10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13-A of the Madhya Pradesh Lokayukta Evam Up-Lokayukta Adhinyam, 1981 (No. 37 of 1981), the State Government, hereby, on the recommendation of the Lokayukta, hereby appoints in the Divisional Vigilance Committee, Ujjain division Shri Shashi Mohan Shrivastava as Chairman & Shri B. M. Kulmi as member for the period of 03 years from the date of joining.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कौल, उपसचिव.